

GOVT. OF INDIA MINISTRY OF RAILWAYS

RFP FOR LISTING OF ADVERTISING AGENCIES IN PR DIRECTORATE, RAILWAY BOARD

RFP is invited by Ministry of Railways from advertising agencies in Delhi and NCR for listing with PR Directorate, Railway Board. The listing of agencies will be for a period of one year and may be extended for further one year based on agency's performance that would be reviewed periodically. The agencies have to submit willingness on their letter head addressed to Deputy Director/ Public Relations in Room No. 311, Rail Bhawan, Raisina Road, New Delhi-110 001 on or before **25/10/2024.** The details of eligibility criteria are given below.

Eligibility Criteria:

- Agency should be a registered company/ proprietorship/ partnership/ LLp
- 2. Agency should have INS accreditation for the last 3 years
- 3. Agency should have CBC empanelment for the last 3 years
- 4. Experience of working with Central Government/ State Government/ PSUs
- 5. Agency must have office in Delhi/ NCR and three & more capital city
- 6. Turn over of the company in FY 2023-24 should be more than Rs. 10 crore



Executive Director Information & Publicity

SIZE: 8 x 12 sqcm



भारत सरकार **रेल मंत्राल**य

पीआर निदेशालय, रेलवे बोर्ड में विज्ञापन एजेंसियों के सूचीयन के लिए आरएफपी

रेल मंत्रालय द्वारा पीआर निदेशालय, रेलवे बोर्ड में सूचीयन के लिए दिल्ली एवं एनसीआर में विज्ञापन एजेंसियों से आरएफपी आमंत्रित की जाती है। एजेंसियों का सूचीयन एक वर्ष की अवधि के लिए होगा और एजेंसी के कार्यप्रदर्शन के आधार पर इसे आगे एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है जिसकी समय—समय पर समीक्षा की जाएगी। एजेंसियों को अपने लेटर हेड पर अपनी सहमति उप निदेशक / जन संपर्क, कमरा नंबर 311, रेल भवन, रायसीना रोड, नई दिल्ली—110001 को संबोधित करते हुए 25.10.2024 तक या उससे पूर्व जमा करनी होगी। पात्रता मानदंडों का विवरण नीचे दिया गया है।

पात्रता मानदंड:-

- एजेंसी एक पंजीकृत कंपनी/प्रोप्राइटरशिप/पार्टनरशिप/ एलएलपी होनी चाहिए।
- 2. एजेंसी के पास पिछले 3 वर्षों के लिए आईएनएस प्रमाणन होना चाहिए।
- 3. एजेंसी के पास पिछले 3 वर्षों के लिए सीबीसी एम्पैनलमेंट होना चाहिए।
- 4. केंद्र सरकार/राज्य सरकार/पीएसयू के साथ कार्य करने का अनुभव होना चाहिए।
- 5. एजेंसी का कार्यालय दिल्ली / एनसीआर और तीन या अधिक राजधानी शहरों में होना चाहिए
- 6. वित्त वर्ष 2023—24 में कंपनी का टर्नओवर रु. 10 करोड़ से अधिक होना चाहिए

—— हमें फॉलो करें ———



www.indianrailways.gov.in

कार्यकारी निदेशक सूचना एवं प्रचार

SIZE: 8 x 12 sqcm